न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 05/2018

अनवान :–

श्री विनोद कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर (हाल कार्या. मु.चि.एवं स्वा.अधि.सिरोही)

प्रार्थी

–: बनाम :–

1. खुशदयाल रूपेला पुत्र रामचन्द्र रूपेला जाति अरोड़ा, निवासी 3 क–11 पवनपुरी बीकानेर। मैसर्स रामचन्द्र एण्ड संस, 14 मॉर्डन, मार्केट, बीकानेर (खाद्य कारोबारकर्ता)
2. राजेश कुमार पोद्दार पुत्र नाथमल पोद्दार, 61 राधा गोविन्द कॉलोनी, ढेर के बालाजी, जयपुर (एफ बी ओ एवं पार्टनर निर्माता फर्म)
3. रंजू देवी पत्नी राजेश कुमार पोद्दार, 61, राधा गोविन्द कॉलोनी, ढेर के बालाजी, जयपुर (एफ बी ओ एवं पार्टनर निर्माता फर्म)
4. सरोज देवी पत्नी नन्दकिशोर 61, राधा गोविन्द कॉलोनी, ढेर के बालाजी, जयपुर (एफ बी ओ एवं पार्टनर निर्माता फर्म)
5. मधु पोद्दार पत्नी कमलेश पोद्दार, हाउस नं. 42–43 दूसरी मंजिल पोकेट– 2 सेक्टर–24 रोहिणी राजापुर कंला, रोहिणी, सेक्टर– 7 उत्तर–पश्चिमी दिल्ली– 110085 (एफ बी ओ एवं पार्टनर निर्माता फर्म)

   निर्माता फर्म:– Adarsh Cashew Industries, E-147 A, औद्योगिक क्षैत्र, झोटवाडा, विस्तार– I, सरना डूंगर, जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि श्री महमूद अली खा.सु.अ.
2. अप्रार्थी सं. 1 ता 5 की ओर से – श्री रवि मेहन्दीरता अधिवक्ता

–: निर्णय :– **दिनांक 24.01.2019**

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री विनोद कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 15.10.2017 को अप्रार्थीपक्ष मैसर्स रामचन्द्र एण्ड संस, 14 मॉडर्न मार्केट, बीकानेर– खाद्य कारोबारकर्ता श्री खुशदयाल रूपेला पुत्र रामचन्द्र रूपेला के यहां फर्म का निरीक्षण दौरान अलमारी की रैक में खाद्य पदार्थ Cashew Nuts(Roasted 'n' salted) (Adarsh Brand) के 250 ग्राम के 16 पैक्ड पैकेट आम जनता के उपयोग आने पर वास्ते बिक्री हेतु रखे हुवे थे। तदन्तर अमानक होने का शक होने पर उक्त पैकेटों में से 8 पैकेट 250 ग्राम के प्रत्येक Cashew Nuts(Roasted 'n' salted) (Adarsh Brand) नमूना हेतु संग्रह कर कुल कीमत रू. 2200/– अदा की एवं खरीद रसीद एवं बिल प्राप्त किया। जिस पर खाद्य कारोबार कर्ता, गवाहों एवं प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् खरीदशुदा नमूना पैकेटों में से 2–2 पैकेट मिलाकर चार पैकेट बनाये एवं टेप से चिपकाया व चारों पैकेटों पर एक–एक लेबल गौंद से चिपकाया तथा नमूना पैकेटों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ.कम सी.एम.एच.ओ, बीकानेर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

जे– 1439 को नियमानुसार सील चपड़ी किया। जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों एवं प्रार्थी ने हस्ताक्षर कियें। तदन्तर चार सीलबन्द पैकेटों में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS.2478/Act/ 2017/2550 दिनांक 15.11.2017 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें Cashew Nuts(Roasted 'n' salted) (Adarsh Brand) मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा साबुदाना (सच्चा मोती) मिसब्राण्ड का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की ओर से श्री रवि मेहन्दीरता अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत किया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी पक्ष की ओर से विभागीय प्रतिनिधि श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से Cashew Nuts(Roasted 'n' salted) (Adarsh Brand)का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Kaju (Adarsh) bearing Code No. and Sr. No. J-1439 fo Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Bikaner is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006. It is Contravene Regulation 2.2.2.(10) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां Cashew Nuts(Roasted 'n' salted) (Adarsh Brand) मिसब्राण्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है । प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के बिन्दुओं को अस्वीकार करते हुवे जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये बिल/वारन्टी निर्माता से Cashew Nuts(Roasted 'n' salted) (Adarsh Brand) से जिस स्थिति/पैक कंडीशन में उत्पाद खरीदा उसी अनुरूप आगे विक्रय किया । इसलिए मिसब्राण्ड के लिए केवल मात्र उत्पादक ही जिम्मेदार है इसलिए धारा 80 के प्रावधानों अनुसार आरोप मुक्त किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता ने आगे यह भी कथन किया कि एफएसओ की नियुक्ति गैर कानूनी है तथा कानूनी अर्हताओं का अभाव है। फूड कमिशनर को राज्य सरकार द्वारा एफएसओ के रूप में नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी को धारा 47(1)(c)(iii)FSSA, रूल 2.4.1(10)(iii) रूल 2.4.1(1)FSSA Reder 2011 के अनरूप लेबोरेट्री से जांच करवाने का अवसर नहीं दिया। खादय सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 47(5) FSSA 2006 के अनुसार खाद्य विश्लेषक के नमूना प्राप्त होने की तिथि से चौदह दिन के भीतर जांच रिपोर्ट भेजनी अनिवार्य थी, जो 16 दिनों के विलम्ब से भेजी है। जांच में नमूना अमानक नहीं

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

पाया गया एवं शुद्धता का पैरामीटर्स पर नमूना सही पाया गया है बल्कि केपिटल लेटर के बजाय स्माल लेटर में बेस्ट बिफोर अंकित करने के स्तर हीन आरोप में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। कम्पनी पैक्ड नमूना लिया गया है इसलिए वैण्डर की धारा 80 FSSA 2006 के तहत प्राप्त बचाव के अधिकारों को पोषण प्रदान किया जाना प्रार्थनीय है। अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि जांच रिपोर्ट में उत्पाद मिलावटी नहीं पाया गया है मात्र मिसब्राण्डेड होने का अंकन हो रखा है। उत्पाद का रिटेस्ट कराने का अवसर भी प्रदान नहीं किया। Food Safety and standards Authority of India के सर्कुलर दिनांक 17.7.2018 में निर्देशित कर रखा है कि Rectification process for cases of Minor labeling defects के अन्तर्गत धारा 32 का नोटिस देकर दोष सुधार का प्रयास करना चाहिए किन्तु अप्रार्थी को कोई नोटिस अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया। अतः प्रकरण निरस्त योग्य होने के कारण अप्रार्थीगण को दोष मुक्त किया जाकर प्रकरण खारिज फरमाया जावें। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपनी बहस के समर्थन में उद्धरण DISHONOUR OF CHEQUE REPORTER 2010 Page No. 353 (SC), DRUGS CASES(DRUGES AND COSMETICS) Page No. 148 (RHC) प्रस्तुत की।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता के जवाब/रिप्रेजेन्टेशन का खण्डन करते हुवे विभागीय प्रतिनिधि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अभिकथन किया कि प्रार्थी निरीक्षक द्वारा दिनांक 15.10.2017 को अप्रार्थी स्थल पर किया गया था जहां वरवक्त निरीक्षण Cashew Nuts(Roasted 'n' salted) (Adarsh Brand) के 250 ग्राम के 16 पैक्ड पैकेट आमजन के विक्रय हेतु रखा गया था। उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना लेने हेतु अप्रार्थी पक्ष के सामने प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पूर्ण पालना की गई अर्थात नमूना गवाहों की उपस्थिति में लिया गया। नमूने हेतु जो 250 ग्राम के 8 पैकेट Cashew Nuts(Roasted 'n' salted) (Adarsh Brand) लिया गया उसकी कीमत 2200/– रूपये का भुगतान कर अप्रार्थी विक्रेता से बिल प्राप्त किया गया था। प्राप्त नमूना पैकेटों में से 2–2 पैकेट मिलाकर चार पैकेट बनाकर पृथक–पृथक सील्ड मोहर किया जाकर गवाहों, विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये तथा निरीक्षण स्थल पर ही मुआयना रिपोर्ट तैयार की गई । विभागीय प्रतिनिधि का यह भी कथन है कि नमूना केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को नियमानुसार वास्ते जांच हेतु भिजवाया गया। विश्लेषण रिपोर्ट अप्रार्थी को समयावधि में ही प्रेषित की गई थी। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः जांच करवाने हेतु अप्रार्थी को नियमानुसार जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचित किया गया था। किन्तु इनकी ओर से पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी FSSAI की धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार नोटिफिकेशन की अधिसूचना के अन्तर्गत निर्धारित अहर्ता पूर्ण करते है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर के समस्त कार्य क्षैत्र के लिए अधिसूचित एवं अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, जो बीकानेर के अधीन है। जांच की प्रयोगशाला FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त है एवं जांच के लिए अधिकृत है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति/जवाब को खारिज करते हुए मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ Cashew Nuts(Roasted 'n' salted) (Adarsh Brand) पाया गया है। अप्रार्थीपक्ष के द्वारा एफएसएस एक्ट की धारा 26(2)ा का जुर्म कारित किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाये गये Cashew Nuts(Roasted 'n' salted) (Adarsh Brand) ब्राण्ड की सैम्पलिंग रिपोर्ट में Cashew Nuts(Roasted 'n' salted) (Adarsh Brand) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक LS.2478/Act/ 2017/2550 दिनांक 16.11.2017 की रिपोर्ट संलग्न है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में में The sample of " Kaju (Adarsh) bearing Code No. and Sr. No. J-1439 fo Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Bikaner is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act, 2006. It is Contravene Regulation 2.2.2.(10) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011पाया गया है। जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां Cashew Nuts(Roasted 'n' salted) (Adarsh Brand)मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है।

7. इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले खाद्य पदार्थ में सिल्ड पैक Cashew Nuts(Roasted 'n' salted) (Adarsh Brand)मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण के लिये दोषी होने के परिणामस्वरूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 (1) के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत 45,000/– अखरे रूपये पैंतालीस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।

8. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्त्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

9. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण करने वाले निर्माता के स्तर पर ही मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) खाद्य पदार्थ का विनिर्माण एवं पैकिंग किया जाता है। अतः आनुपातिक रूप से सर्वाधिक दायित्व एवं दोष विनिर्माता/पार्टनर निर्माता फर्म अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 का ही परिलक्षित होता है । अतः कुल आरोपित शास्ति रू. 45000/– में से रूपये 40,000/– अखरे चालीस हजार रूपये के लिए अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 को दायी घोषित किया जाता है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 समान रूप से 1/4 शास्ति राशि यानि 10,000/–, 10,000/– रूपये प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 भरने हेतु दायी होंगें।

10. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में विक्रेताओं का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ का विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें। परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी संख्या विक्रेता द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खाद्य सामग्री सिल्ड पैक Cashew Nuts(Roasted 'n' salted) (Adarsh Brand) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

विक्रय किया जिसके लिये वे भी समान रूप से धारा 26 (2) (ii) में दोषी है। अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 विनिर्माता/पार्टनर निर्माता फर्म की शास्ति को घटाने के पश्चात शेष आरोपित शास्ति 5,000/– अखरे पांच हजार रूपये शेष अप्रार्थी संख्या 1 समान रूप से भरने हेतु दायी होगा। इस प्रकार आरोपित 45,000/– रूपये की शास्ति राशि में से 40,000/– रूपये अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 प्रत्येक 10–10 हजार रूपये (विनिर्माता/पार्टनर निर्माता फर्म) एवं अप्रार्थी संख्या 1 (खाद्य कारोबारकर्ता) रूपये 5 हजार की शास्ति राशि अदा करेगें।

11. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 24.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थी पक्ष संख्या 1 ता 5 के प्राधिकृत प्रतिनिधि(अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा),बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner